

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ।
संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 6-10-2012 .

---•••---

संदर्भित ज्ञाप द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी जारी मार्गदर्शी निर्देशों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए एतद् द्वारा निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं :-

कंडिका 2(1) वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्त विभाग द्वारा दी जावेगी । वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा की जा सकेगी ।
कंडिका 2(4) जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिये जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड वेतन के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :-

क्रं.	मूल पद का ग्रेड वेतन	वाहन की अधिकतम लागत सीमा
1.	₹ 7600 तक	₹ 5.50 लाख
2.	₹ 8700 एवं ₹ 8900	₹ 6.50 लाख
3.	₹ 10000 एवं एच.ए.जी. वेतनमान	₹ 7.50 लाख

कंडिका 2(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (responsive tenders) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकार का चयन किया जाये ।

कंडिका 2(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) भी विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जाये ।

2/ कंडिका 2(4) अनुसार पुनरीक्षित सीमायें वर्तमान संविदा अवधि समाप्ति के पश्चात ही प्रभावी होगी ।

3/ कंडिका-2(4) में प्रस्तावित सीमायें अधिकतम राशि का वाहन किराये पर लिये जाने से संबंधित है । यह कंडिका वाहन किराये पर लेने की अधिकारिता प्रदान नहीं करती ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)

सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजय चौबी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग